मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 2016 (आषाढ़ 29, शक सम्वत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 101 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 108 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) अध्यक्षीय निर्देशानुसार, श्री आरिफ अकील, सदस्य की मध्यप्रदेश के शैक्षणिक संस्थाओं को नियम विरूद्ध मान्यता दिये जाने की सूचना सदन में पढ़ी मानी गईं तथा निम्नांकित शेष सूचनाएं सदन में पढ़ी गई :-

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा मुरैना जिले के थाना मातावसैया के ग्राम खैरा में युवक की हत्या होना,

(3) श्री यशपालसिंह सिसोदिया, सदस्य द्वारा विदेशी फलों पर लगे हुये केमिकलों की जांच हेतु लेबोरेटरी की पदस्थापना न होना,

(4) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य द्वारा नीमच विधानसभा क्षेत्र में स्थित रेतम नदी पर पुलिया का निर्माण न होना,

(5) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य द्वारा विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत कटौती व बिजली गुल होने से नागरिकों को परेशानी होना,

(6) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य द्वारा मुरैना व सुमावली विधान सभा क्षेत्रों में जल संसाधन विभाग की कालोनी की जर्जर हालत होना,

(7) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य द्वारा सीहोर जिले के इछावर विधान सभा क्षेत्र में दूषित पेयजल से पीलिया का प्रकोप होना तथा

(8) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य द्वारा श्योपुर जिले के सबलगढ़ में 220 केव्हीए उप केन्द्र की स्थापना की जाना.

3. शून्यकाल में उल्लेख

(1) भोपाल के बाढ़ पीड़ितों को प्रदाय किए गए गेहूं में मिट्टी की मिलावट होने विषयक

सर्वश्री जयवर्द्धन सिंह एवं आरिफ अकील, सदस्यगण द्वारा शून्यकाल में यह विषय उठाया गया कि - भोपाल बाढ़ पीड़ितों के लिये जो गेहूं दिया गया है, उसमें 150 किलो की बोरी में 25 किलो से अधिक मिट्टी पाई गई है. विधानसभा परिसर के बाहर कई बाढ़ पीड़ित खड़े हैं. वे धरना भी दे रहे हैं. हम आसंदी के माध्यम से मंत्री महोदय से यह मांग कर रहे हैं कि वे हमें आश्वासन दें कि जो अधिकारी और कर्मचारी इस में लिप्त हैं, उन पर जांच कर कार्यवाही की जाए.

डॉ.नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि सम्मानित सदस्यों ने जो विषय उठाया है वह वास्तव में गंभीर विषय है. सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया है, तत्काल ही जांच के आदेश दिये गये हैं. पैकिंग के गेहूं में अनियमितताएं पाई गई हैं. मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि इसकी जांच के जो निष्कर्ष आयेंगे,तद्नुसार दोषियों पर हम तत्काल कार्यवाही करेंगे.

(कांग्रेस पार्टी के अनेक सदस्यगण एक साथ खड़े होकर, अपने हाथ में मिट्टी मिला हुआ गेहूं लेकर आसंदी के समक्ष तक आ गये तथा अपनी बात कहने लगे.)

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा मत व्यक्त किया गया कि - काफी गंभीर मामला है, माननीय मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि हम जांच करायेंगे. हम चाहते हैं कि आप जांच की रिपोर्ट सदन के इसी सत्र के अंतिम दिन प्रस्तुत कर दें जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इसमें कौन-कौन दोषी हैं और आपने क्या कार्यवाही की.

डॉ.नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन को आश्वस्त किया गया कि - किसानों से गेहूं खरीदने के बाद जहां-जहां अनियमितताएं हुई हैं, जहां यह कंकर-पत्थर मिलाये गये हैं, उन सभी बिन्दुओं को इसमें शामिल किया जायेगा. साथ ही सत्रकाल में ही निश्चित रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा.

(2) मध्यप्रदेश में अतिवर्षा एवं बाढ़ पर दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग विषयक

श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष एवं श्री मुकेश नायक आदि सदस्यगण द्वारा शून्यकाल में यह विषय उठाया गया कि - मध्यप्रदेश में अतिवर्षा के कारण बाढ़ से बांध टूट गये हैं. 15 से 20 जिले बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं. बाढ़ के कारण कई मवेशी मर गये हैं. दो-तीन बार बोवनी करनी पड़ी है. इसलिये हमारा यह आग्रह है कि हमारे दल की ओर से दिए गए स्थगन को आप स्वीकार करें उस पर चर्चा कराएं.

4. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ.नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेश पटल पर रखे :-

(1) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2016 (क्रमांक 1 सन् 2016),
(2) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, 2016 (क्रमांक 2 सन् 2016)

5. फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

6. नियम 267 - क के अधीन फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र में नियम 267-क के अधीन पढ़ी गयी सूचनाओं तथा उनके शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

7. बहिर्गमन

श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रदेश में आई बाढ़ एवं अतिवर्षा से प्रभावित हुए किसानों को मुआवजा न दिये जाने के विरोध सदन से बहिर्गमन किया गया.

8. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के चतुर्दश विधान सभा के विगत सत्र में पारित 11 विधेयकों को माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किए जाएंगे :-

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
(1)	मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 (क्रमांक 1 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2016
(2)	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2016 (क्रमांक 2 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2016
(3)	मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 6 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2016
(4)	मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 4 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 13 सन् 2016
(5)	मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 5 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2016
(6)	मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 8 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2016
(7)	मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 9 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2016
(8)	मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 10 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 17 सन् 2016
(9)	मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 11 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2016
(10)	मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2016 (क्रमांक 12 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2016
(11)	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 7 सन् 2016)	अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2016

9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें, जिन्हें सभा द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2016 को स्वीकार किया गया है, के अनुसार निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए उनके सामने अंकित समय निर्धारित किया गया है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक एवं अन्य कार्य	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 13 सन् 2016)	30 मि.
2.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 14 सन् 2016)	30 मि.
3.	वर्ष 2016-17 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	2 घण्टे
4	वर्ष 2006-07 एवं 2009-10 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयकों का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	15 मिनिट

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

10. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री कैलाश चावला, रामनिवास रावत, सदस्यगण ने प्रदेश में विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने पर उपभोक्ताओं से अनियमित विद्युत बिल की वसूली किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

11. गर्भगृह में प्रवेश

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण मंत्री महोदय के कथन का विरोध करते हुए गर्भगृह में आए, अत्यधिक व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित की गई.

(अपराह्न 1.06 से 1.18 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

12. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

ध्यानाकर्षण संख्या (1) पर चर्चा पूर्ण की गई.

13. बहिर्गमन

श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा ध्यानाकर्षण के विषय में सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.

14. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में उल्लेखित कार्यवाही पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये. मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

15. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

(2) श्री शैलेन्द्र पटेल, डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्यगण ने प्रदेश के किसानों को फसल बीमा की राशि न दिये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

16. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9-अटेर से निर्वाचित सदस्य, श्री सत्यदेव कटारे को विधान सभा के जुलाई, 2016 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई.

17. गर्भगृह में प्रवेश

श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य ध्यानाकर्षण पर अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आये एवं श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष की समझाइश पर अपने स्थान पर वापस गये.

18. अनुपस्थिति की अनुज्ञा (क्रमशः)

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 50-राजनगर से निर्वाचित सदस्य, कुंवर विक्रम सिंह को विधान सभा के जुलाई, 2016 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई.

19. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया:-

(1) श्री कैलाश चावला
(2) श्री जगदीश देवड़ा
(3) सुश्री मीना सिंह
(4) श्री केदारनाथ शुक्ल
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) डॉ. गोविन्द सिंह

20. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति ने याचिका समिति के अभ्यावेदनों से संबंधित प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किये.

21. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी (जिला-खरगौन)
(2) श्री वीर सिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(3) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(4) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(5) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(6) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(7) श्री सचिन यादव (जिला-खरगोन)

(8) श्री सुन्दर लाल तिवारी (जिला-रीवा)
(9) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(10) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(11) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(12) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)
(13) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(14) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(15) श्री गिरीश गौतम (जिला-रीवा
(16) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(17) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(18) श्री रजनीश सिंह (जिला-सिवनी)
(19) श्री आरिफ अकील (जिला-भोपाल)
(20) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मंदसौर)

22. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 13 सन् 2016) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (क्रमांक 14 सन् 2016) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

अपराह्न 1.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई, 2016 (आषाढ़ 30, शक सम्वत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 20 जुलाई, 2016